राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2490 / 2025

सरोज

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र मेवाडा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी एएनएम के पद पर पीएचसी, बैराडा, तह. बरनाला, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण सीएचसी, जालोडा, फलोदी में किया गया है। स्थानान्तरण आदेश पारित होने के पश्चात दिनांक 03.04.2025 को शुद्धिकरण आदेश भी जारी किया गया है। इसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.04.2025 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से 550 किमी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के पति हृदय रोग से पीडित है, जिनकी Coronary Angiography भी हुई है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। वर्तमान स्थान पर एएनएम के पद रिक्त है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने में कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं थी।
3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्त द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2018 से कार्यरत है एवं आलोच्य आदेश से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का

स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का संबंध है तो हम इस आधार पर अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष